



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2294]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 4, 2010/कार्तिक 13, 1932

No. 2294]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 2010/KARTIKA 13, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2010

का.आ. 2714(अ).—केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1989 के नियम 124 के उप-नियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उप-धारा (3) और धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोट परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365 (अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में,—

(क) क्रम संख्यांक 38 में मद (ख) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ग) एम 2, एम 3, एन 1, एन 2 और एन 3 वर्ग के आटोमोटिव यानों पर आंतरिक फिटिंग्स।	समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस: 047-2009	नए मॉडलों के लिए 1 अप्रैल, 2012 और विद्यमान मॉडलों के लिए 1 अप्रैल, 2013”;
--	--	---

(ख) क्रम संख्यांक 45 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“46 (क) मोटर यान के एम 1 प्रवर्ग के लिए विकुहासा पद्धति की अपेक्षाएं।	समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस: 84 (भाग 1)-2008	नए मॉडलों के लिए 1 अप्रैल, 2011 और विद्यमान मॉडलों के लिए 1 अप्रैल, 2012।
(ख) मोटर यान के एम 1 वर्ग के लिए वितुषारण पद्धति की अपेक्षाएं, यदि वह लगा है।	समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस: 84 (भाग 2)-2008	नए मॉडलों के लिए 1 अप्रैल, 2011 और विद्यमान मॉडलों के लिए 1 अप्रैल, 2012।”

[फा. सं. आरटी-11011/13/2001-एमवीएल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक का.आ. 1365 (अ) तारीख 13 दिसम्बर, 2004 और पश्चात्पूर्वी संशोधन संख्यांक का.आ. 1431(अ) तारीख 20 अगस्त, 2007 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2010

S.O. 2714(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 109 and clause (k) of sub-section (1) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, namely:—

In the said notification, in the Table,—

(a) in Sl. No. 38, after item (b) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

“(C) The interior fittings on auto-motive vehicles of M2, M3, N1, N2 and N3 categories.	AIS: 047-2009 as amended from time to time.	1st April, 2012 for new models and 1st April, 2013 for existing models.”;
---	---	--

(b) after Sl. No. 45 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely:—

46. (a) Requirements of demisting systems for M1 category of motor vehicles.	AIS : 84 (Part 1)-2008, as amended from time to time.	1st April, 2011 for new models and 1st April, 2012 for existing models.
(b) Requirements of defrosting systems in M1 category of motor vehicles, if fitted with.	AIS: 84 (Part 2)-2008, as amended from time to time.	1st April, 2011 for new models and 1st April, 2012 for existing models.”.

[F.No. RT-11011/13/2001-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

Foot Note:— The Principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004 and subsequently amended *vide* number S.O. 1431(E), dated the 20th August, 2007.